प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.06.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 12 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा व गमछा बरामद।

आज दिनांक 29.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी समीर खान उर्फ नासिर निवासी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्ता 1. किरन पत्नी धर्मवीर 2. कशिश पत्नी कमल द्वारा एक राय होकर वादी के भाई जाकिर की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा-103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट के आधार पर घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से उपरोक्त हत्या की घटना का 12 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाली 02 अभियुक्ता 1.किरन पत्नी धर्मवीर निवासी छोटी सराय थाना कोतवाली जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष 2.कशिश पत्नी कमल निवासी ग्राम रिढावली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा व गमछा बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्ताओं से पूछताछ की गयी तो अभियुक्ता किरन ने बताया कि मैं और कशिश दोनों सगी बहने हैं। मैं मृतक जाकिर को पिछले 04-05 वर्षो से जानती हूँ। मृतक जाकिर और मैं शाकिरपुर जनपद गौतमबुद्धनगर में किराये के मकान में रहते थे जिस कारण हम दोनों के बीच दोस्ती हो गयी। उसके बाद जाकिर अपने परिवार के साथ खुशहाल पार्क, ट्रोनिका सिटी में रहने लगा। मैं यहां भी जाकिर से मिलती रहती थी। मैं 8-9 माह पहले अपने बच्चो के साथ गाजियाबाद आ गयी तथा पूजा कॉलोनी में किराये के मकान में जाकिर के साथ लिव-इन में पति-पत्नी की तरह रहने लगी। हमारे साथ मेरी 01 बेटी उम्र करीब 13 वर्ष तथा 02 बेटे भी रहते थे। लगभग दो महीने से मुझे शक हुआ कि जाकिर मेरी पुत्री पर भी गलत नजर रखने लगा है। मुझे यह अंदर ही अंदर चुभने लगा और मैंने सोच लिया था कि मैं अब जाकिर को अपने रास्ते से हटा दूंगी नहीं तो यह मेरी बेटी के साथ कभी भी गलत काम कर सकता है। इसी इरादे के साथ मैंने लगभग 20 दिन पहले अपनी बहन कशिश को अपने पास बुलाया और यह सब बातें मैंने उसे बतायी। मैंने व मेरी बहन कशिश ने प्लान बनाया कि जाकिर की हत्या करके हम यहां से भाग जायेंगे। दिनांक 23/06/2026

को सुबह मैंने व कशिश ने योजना कि हम आज इसकी हत्या कर देंगे व हत्या करके यहां से चले जायेंगे। योजना के तहत हमने जाकिर के फोन से बाहर जाने के लिये ओला गाडी बुक की। ओला गाडी घर के बाहर आ गई थी ओला के चालक की जाकिर के फोन पर वार्ता हुई उसी समय हमने सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने के लिए बाहर भेज दिया। उस समय घर के अंदर मैं, मेरी बहन कशिश व जाकिर ही थे। उसी समय मैंने मौका पाकर घर के अंदर ही जाकिर के सिर पर डंडे से वार कर दिया जिससे जाकिर बेहोश हो गया। उसके बाद मैंने तथा मेरी बहिन कशिश ने उसकी गर्दन में गमछे से फंदा लगाकर पकडकर खींच दिया और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इसके बाद जिस डण्डे से मैंने जाकिर से सिर पर वार किया था उस डण्डे को मैंने व कशिश ने छत पर पानी की टंकी के पीछे छिपा दिया था। व गमछे को हम दोनों ने पंखे पर बांध दिया था और पंखे की तीनों पंखुडियों को मोड दिया था जिससे किसी को शक न हो कि हमने हत्या की है। फिर हम दोनों लोगों को यह पता लगा कि हम लोग फस जायेंगे तो मैंने शोर मचा दिया। नीचे रहने वाले किरायेदार व अन्य लोग भी हमारे पास आ गये। और मैंने जाकिर के फोन से उसके भाई समीर खान उर्फ नासिर को फोन कर दिया कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद मैं अपने बचाव के लिये टैम्पो करके उसे जगमोहन हॉस्पीटल ले गई वहां पर उसके परिवार वाले आ गये उनसे भी मैंने यही बताया था कि इसने आत्महत्या कर ली है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.किरन पत्नी धर्मवीर निवासी छोटी सराय थाना कोतवाली जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष।

2.कशिश पत्नी कमल निवासी ग्राम रिढावली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा व गमछा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त एवं 01अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 28.06.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1. परमजीत पुत्र जसवन्त सिंह निवासी नन्दनगरी पीर वाली गली मोदीनगर गाजियाबाद 2. महक के द्वारा परमजीत उपरोक्त को वादिया व अन्य परिजन को जान से मारने के लिए तलवार लाकर देना,

जिससे परमजीत द्वारा जान से मारने की नियत से वादिया पर वार कर गम्भीर रुप से घायल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 109(1)/3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28.06.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. परमजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी पीर वाली गली, नन्दनगरी, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व 2. महक पुत्री राज सिंह निवासी फरीदकोट, भटिंडा (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त परमजीत सिंह उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तलवार बरामद करते हुये उक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त परमजीत ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी शादी करीब 04 वर्ष पूर्व हुई थी, मेरे 02 बच्चे है। मेरी महक (अभियुक्ता) से दोस्ती हो गयी थी। मैं महक को अपने साथ लेकर अपने घर पीर वाली गली, नन्दनगरी मोदीनगर आ गया था। मेरे परिवार वाले एवं पत्नी व उसके परिवारजन इस सबका ऐतराज कर रहे थे। दिनांक 28/06/2026 को मेरी इसी बात को लेकर घर वालों से कहासुनी हो गयी थी। महक ने मुझे तलवार लाकर दी थी और कहा कि अपनी साली (वादिया) को जान से मार दो। इस पर मैंने अपनी साली को जान से मारने की नियत से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके गम्भीर चोट लग गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. परमजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी पीर वाली गली, नन्दनगरी, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।
2. महक पुत्री राज सिंह निवासी फरीदकोट, भटिंडा (पंजाब), उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करते समय फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तंमचा देशी 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतसू बरामद।

दिनांक 26/27/6/2026 मध्य रात्रि को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त वारिस, सलमान, बिलाल द्वारा उसके निर्माणाधीन मकान में चोरी करना एवं पकडे जाने के डर से अभियुक्त सलमान द्वारा अपने 315 बोर देशी तमंचे से हवाई फायरिंग करके मौके से भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 307/303(2)/352/115(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त वारिस को दिनांक 28.06.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 29.06.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र माशाअल्लाह निवासी मौहल्ला बिल्लयान नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी के चित्तोडा पुल से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तंमचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतसू बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सलमान ने पूछने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगो में अपना रोब दिखाने के उद्देश्य से करीब 02 साल पहले अपने बहनोई नईम निवासी मण्डोली दिल्ली से लिया था मेरे बहनोई नईम उपरोक्त की करीम डेढ साल पहले मृत्यु हो गयी है। दिनांक 26/27.06.2026 की रात्रि अपने पडोस में रहने वाले तमकीन के निर्माणाधीन मकान में हम चोरी करने के लिये अन्दर घुसे। जाग होने पर तमकीन व अन्य लोगो द्वारा शोर मचाने पर मैंने डराने के लिये इस तमंचा से हवाई फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र माशाअल्लाह निवासी मौहल्ला बिल्लयान नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा देशी 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतसू बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 31.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला अभियुक्त सुहैल पुत्र लियाकत अली निवासी-इकराम नगर जामा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब-23 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि काफी दिन पहले मैंने यह मोटरसाइकिल राजीव गार्डन से चोरी की थी। मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सुहैल पुत्र लियाकत अली निवासी-इकराम नगर जामा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब-23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 04 अभियोग तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

(कुल अभियोग-05) । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा विदेशी महिला से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 28.06.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि न्यू गांधीनगर स्थित मकान संख्या C-32 में अवैध रूप से देह व्यापार कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मकान संख्या C-32, न्यू गांधीनगर (किराए का मकान) में अभियुक्त अंकित गुप्ता उर्फ राहुल मलिक विदेशी महिला को बहला-फुसलाकर अपने किराए के मकान में बुलाकर उससे अनैतिक देह व्यापार कराता हुआ पाया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंकित गुप्ता उर्फ राहुल मलिक (संचालक) को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा विदेशी महिला को सकुशल रेस्क्यू किया गया। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अंकित गुप्ता उर्फ राहुल मलिक ने बताया कि वह अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए किराए के मकान में देह व्यापार का कार्य कराता है । जिस महिला को पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया है, उसे वह बहला-फुसलाकर बुलाता था, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित गुप्ता उर्फ राहुल मलिक, उम्र 32 वर्ष, पुत्र अशोक कुमार गुप्ता, निवासी (किरायेदार) मकान संख्या C-32, नेहरू नगर द्वितीय, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।

मूल पता- गली नं. 04, एटा रोड, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

Vivo X300 FE मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अंकित गुप्ता उर्फ राहुल मलिक के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर अनैतिक देह व्यापार से संबंधित 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम ।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 01 अभियुक्त अनुज यादव उर्फ कटप्पा को पीता फार्म के पास, भाटिया रोड से चोरी की एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (रंग काला, रजिस्ट्रेशन संख्या DL5S CS1671) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी करता हूँ। बरामद मोटरसाइकिल उसने लगभग 20 दिन पूर्व थाना हर्ष विहार, दिल्ली क्षेत्र से चोरी की थी, जिसे वह आज बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अनुज यादव उर्फ कटप्पा पुत्र अवधेश यादव, निवासी एसएम-11, रजापुर, थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस, रंग काला, रजिस्ट्रेशन संख्या *DL5S CS1671* , थाना हर्ष विहार, दिल्ली)

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अनुज यादव उर्फ कटप्पा के विरुद्ध
थाना कविनगर पर लूट के 04, आर्म्स एक्ट का 01 तथा बरामदगी के 03 अभियोग,
थाना सिहानी गेट पर वाहन चोरी का 01 अभियोग एवं
थाना विजयनगर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना को कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 01 लाइसेंसी बंदूक डबल बैरल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 28.06.2026 को वादी ओम सरण पुत्र नेत्रपाल निवासी नगला कमले जिला एटा द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के किराये के घर से वादी की लाईसेन्सी डबल बैरल बन्दूक मय

कारतूस व एक पुरानी साइकिल तथा पंखा चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल धारा 305(A) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 29.06.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त राम उर्फ रामू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम तहसीपुर थाना व जिला उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष को निर्माणाधीन रामप्रस्थ सोसायटी के पास गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई लाइसेंसी बंदूक डबल बैरल नं0 DBBL16138-C/3-2001 व 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं मूल रूप से उन्नाव का रहना वाला हूँ, पहले मैं करीब दो-तीन महीने ओमशरण के साथ मकान मे ही किराये पर रहा था और मजदूरी आदि का काम करता था और तब से मेरी ओमशरण से अच्छी जान पहचान थी करीब 1 महीने पूर्व मैं अपने गाँव चला गया था दिनांक घटना से 1-2 दिन पूर्व ही मैं अपने गांव से काम करने के लिए आया हुआ था तभी ओमशरण के परिवार मे किसी की मृत्यु हो गई थी वो अपने गांव चला गया था मुझ पर पैसे की तंगी चल रही थी जिस कारण मैने ओमशरण की लाइसेंसी बंदूक साइकिल व पंखा चोरी कर लिए थे पंखा और साइकिल बेचकर पैसे खर्च कर दिये है मुझसे जो लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई है वह ओमशरण की है जो मैने चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- राम उर्फ रामू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम तहसीपुर थाना व जिला उन्नाव उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की गयी 01 लाइसेंसी बंदूक डबल बैरल व 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त राम उर्फ रामू उपरोक्त के विरुद्ध लाइसेंसी बंदूक डबल बैरल बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।